राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 7410/2023

अजय कुमार जाटव पुत्र श्री विद्याराम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ए-1, रामदेव कॉलोनी, जालोर, तहसील एवं जिला जालोर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. कांतिलाल भंडारी पुत्र श्री लालचंद भंडारी, माध्यम से प्रबंध निदेशक, आदिनाथ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, वन-वे रोड, मानपुरा कॉलोनी, जालोर, तहसील और जिला. जालोर (राज.)
2. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एल.के. रामधारी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>01/08/2024</u>

1. इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालोर द्वारा पारित दिनांक 18/09/2023 का पुनरीक्षण आदेश है। आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 48/2019 में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, जालोर द्वारा पारित दिनांक 18/08/2023 के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके तहत साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 47 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिका में प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, जालोर के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत प्रस्तुत की। मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता के साक्ष्य के चरण में, याचिकाकर्ता ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 47 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें

मूल चेक जमा पर्ची, मूल चेक और ऋण स्वीकृति आदेश सहित कई दस्तावेजों पर हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट मांगी गई, इस आधार पर कि ये दस्तावेज उसके द्वारा नहीं लिखे गए थे, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं लिखे गए थे।

2.1 विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 18/08/2023 के आदेश के तहत इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि चेक के अनादर का कारण अपर्याप्त धनराशि है और इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

2.2. दिनांक 18/08/2023 के आदेश से व्यथित होकर विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अभियुक्तगण धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज होने के बाद ही अपना बचाव प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 243 सीआरपीसी में भी यही प्रावधान है। इसलिए, इस स्तर पर, चेक आदि जैसे दस्तावेजों को हस्तलेख विशेषज्ञ के पास भेजना उचित नहीं है, क्योंकि अभियुक्तगण का बचाव अभी शुरू नहीं हुआ है।

3. सुनवाई हुई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 18/08/2023 के आदेश द्वारा तथ्यों को साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर डाल दिया गया था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण दायर किया था और प्रश्नगत दस्तावेजों के लिए हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि, विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उनके पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने इस आवेदन में शिकायतकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और हस्तलेखन विशेषज्ञ से रिपोर्ट प्राप्त करना निचली अदालतों का कर्तव्य था, लेकिन निचली अदालतों ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है।

5. मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। सबसे पहले, इस न्यायालय के समक्ष याचिका देरी से दायर की गई है। अन्यथा भी, मेरा मानना है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में पाया है कि बैंक ने चेक को याचिकाकर्ता के खाते में अपर्याप्त धनराशि के आधार पर अस्वीकृत किया था, हस्ताक्षर के बेमेल होने के कारण नहीं। ऐसी स्थिति में, चेक पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर की तुलना उसके मानक स्वीकृत हस्ताक्षर से करने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है। मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

6. खारिज। हालांकि, याचिकाकर्ता उचित चरण में उपलब्ध बचाव का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।

7. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, खारिज किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।